



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232446
CG-DL-E-06012022-232446

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943

No. 44]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2021

का.आ. 45 (अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4194 (अ) तारीख 8 अक्टूबर 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 8 अक्टूबर 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बाडमेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक बाडमेर-पालनपुर पाईपलाइन के माध्यम से तैयार पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिए गुजरात राज्य में पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 18 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है,

अतः अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए,

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तालुका – धानेरा

जिला-बनासकांठा

राज्य-गुजरात

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं /गाटा सं	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अनापुर छोटा	768	00	00	42
		846	00	00	64
		771	00	00	50
		817	00	00	40
		818	00	00	11
		कुल	00	02	07
2	आलवाडा	785	00	01	16
		790	00	00	65
		796	00	01	37
		798	00	02	43
		805	00	03	50
		881	00	01	72
		893	00	03	35
		889	00	01	07
		906	00	00	76
		908	00	02	36
		910	00	03	29
		920	00	03	03
		1002	00	00	87
		1013	00	02	68
		1027	00	00	74
		1050	00	00	83
		1081	00	00	91
		1067	00	01	21
		कुल	00	31	93

[फा.सं. आर-11025(15)/3/2020-ओआर-1/ई-33838]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2021

S.O. 45(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. No. 4194 (E) Dated 8th October 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said

Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 8th October 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of finished petroleum product in the state of Gujarat through Barmer-Palanpur Pipeline from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat) by the Hindustan Petroleum Corporation Limited.

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public by 18th October 2021.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TALUKA- DHANERA

DISTRICT-BANASKANTHA

STATE- GUJARAT

Sl. No	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. M.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ANAPUR CHHOTA	768	00	00	42
		846	00	00	64
		771	00	00	50
		817	00	00	40
		818	00	00	11
		Total	00	02	07
2	Aalwada	785	00	01	16
		790	00	00	65
		796	00	01	37
		798	00	02	43
		805	00	03	50
		881	00	01	72
		893	00	03	35
		889	00	01	07
		906	00	00	76
		908	00	02	36
		910	00	03	29
		920	00	03	03
		1002	00	00	87
		1013	00	02	68
		1027	00	00	74
		1050	00	00	83
		1081	00	00	91
		1067	00	01	21
		Total	00	31	93

[F.No. R-11025(15)/3/2020-OR-I/E-33838]

P. SOMAKUMAR , Under Secy.